WESTERN RAILWAY

P.S.No. 69/2014

Headquarter Office, Churchgate, Mumbai-20

No. EP 637/0 Vol. VI

Date: 15.07.2014

To

All DRMs / CWMs & Units Incharge,

C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.

C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn, 'W' Zone, Mumbai

C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn. Mumbai.

Sub: Consolidated Instructions relating to action warranted against Railway servants remaining away from duty without Authorisation/ grant of leave.

=========

A copy of Railway Board's letter No. E(P&A)I-2013/CPC/LE-2 dated 29/05/2014 (RBE No. 059/2014) is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

(Rajesh Chaudhari)

Dy CPO(HRD) For General Manager (E)

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड /RAILWAY BOARD)

No. E(P&A)I-2013/CPC/LE-2

RBE No. 59/2014

New Delhi, dated: \$7.05.2014

The General Managers/FA&CAOs, [UR, plunt] All Indian Rathways/PUs.

Sub: Consolidated instructions relating to action warranted against Railway servants remaining away from duty without authorisation/grant of leave.

Consolidated instructions on above mentioned subject issued by Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), vide their O.M. No. 13026/3/2012-Estt[Leave] dated 28th March, 2013, are enclosed. These instructions shall apply mutatis-mutandis on the Railway.

 The Railway rules corresponding to the CCS rules quoted in the Department of Personnel & Training's instructions are indicated below:-

S. No.	CCS Rules	Railway Rules
1)	FR 17(1)	Rule 1302 of the Indian Railway Establishment Code Vol. II, 1987 Edition.
ii)	Rule 25 of CCS (Leave) Rules, 1972	Rule 518 of the Indian Railway Establishment Code Vol. I
iii) 	Rule 26(b) (ii) of CCS (Leave) Rules, 1972	Rule 1320(b) (ii) of the Indian Railway Establishment Code Voi. II
iv)	Rule 27(2) of CCS (Pension) Rules, 1972	Rule 42(2) of the Railway Service (Pension) Rule, 1993
v)	Rule 32(6) of CCS (Leave) Rules, 1972	Rule 530(5) of the Indian Railway Establishment Code Vol. I

Please acknowledge receipt.

DA: One

(K. Shanker) Director/E(P&A) Railway Board. No. 13026/3/2012-Estt (Leave)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 28th March, 2013.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Consolidated instructions relating to action warranted against Government servants remaining away from duty without authorisation/grant of leave - Rule position

The undersigned is directed to say that various references are being received from Ministries/Departments seeking advice/post facto regularisation of unauthorised absence. It has been observed that due seriousness is not being accorded by the administrative authorities to the various rule provisions, inter alia under the CCS(Leave) Rules, 1972, for taking immediate and appropriate action against Government servants staying away from duty without prior sanction of leave or overstaying the periods of sanctioned leave. It is reiterated that such absence is unauthorised and warrants prompt and stringent action as per rules. It has been observed that concerned administrative authorities do not follow the prescribed procedure for dealing with such unauthorised absence.

2. In view of this, attention of all Ministries/Departments is invited to the various provisions of the relevant rules, as indicated in the following paragraphs for strict adherence in situations of unauthorised absence of Government servants. It is also suggested that these provisions may be brought to the notice of all the employees so as to highlight the consequences which may visit if a Government servant is on unauthorised absence. The present OM intends to provide ready reference points in respect of the relevant provisions, hence it is advised that the relevant rules, as are being cited below, are referred to by the competent authorities for appropriate and judicious application. The relevant provisions which may be kept in mind while considering such cases are indicated as follows:

(a) Proviso to FR 17(1)

The said provision stipulates that an officer who is absent from duty without any authority shall not be entitled to any pay and allowances during the period of such absence.

(b) FR 17-A

The said provision inter alia provides that where an individual employee remains absent unauthorisedly or deserts the post, the period of such absence shall be deemed to cause an interruption or break in service of the employee, unless otherwise decided by the competent authority for the purpose of leave travel concession and eligibility for appearing in departmental examinations, for which a minimum period of service is required.

सं.13026/3/2012-स्थापना(अवकाश) भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय कार्मिक और पंशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28/03/2013

कार्यालय जापन

विषयः प्रापिकार/अवकाश की मंजूरी के बिना ही ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने संबंधी समेकित अनुदेश- नियम स्थिति

अधीहरतासरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्राधिकृत ताँर पर अनुपस्थित रहने के संबंध में सताह मांगने/बाद में विनियमित करने के लिए मंत्रालयाँ/विभागाँ से अनेक संदर्भ पास हो रहे हैं। यह देखने में आया है कि प्रशासनिक अधिकारियाँ द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ सीसीएस (अवकाश) नियमावली, 1972 के तहत विभिन्न प्रावधानों की और छुट्टी मंजूर कराए बिना इबूटी से अनुपस्थित रहने वाले अथवा संस्वीकृत छुट्टी की अवधि से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने वाले सरकारी कर्मधारियाँ के विरुद्ध तत्काल एवं उपयुक्त कार्रवाई करने को प्रयास गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यह पुक्तः दोहराया जाता है कि ऐसी अनुपस्थित अप्राधिकृत होती है तथा नियमों के अनुसार तत्काल एवं सखत कार्रवाई की अपेक्षा होती है। यह पाया गया है कि संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी ऐसी अप्राधिकृत अनुपस्थिति से निपटने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करते हैं।

इसको ध्यान में रखते हुए, सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान सरकारी कर्मचारियों की अप्राधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में तिम्नलिखित पैराग्राफों में यथाइंगित संगत नियमों के विभिन्न प्रायचानों के सखती से अनुपालन करने की ओर आकृष्ट किया जाता है। यह भी तुझाय दिया जाता है कि इन प्रायधानों को सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए ताकि अप्राधिकृत तौर पर अनुपस्थित रहने पर सरकारी कर्मचारी पर की जाने वाली कार्रवाई को स्पष्ट किया जा सके। इस कार्यालय जापन का उद्देश्य संगत प्रायधानों के संबंध में सुतम संदर्भ के बिन्दु उपलब्ध करवाना है, अतएव, यह सलाह दी जाती है कि निम्नलिखित संगत नियमों का सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त एवं न्यायोधित अनुप्रयोग के लिए हवाला दिया जाए। ऐसे मामलों पर विचार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले संगत प्रावधान निम्नानुसार है:

(क) मूल नियम (एफआर) 17(1) का परन्तुक

उक्तं प्रावधान निर्धारित करता है कि <u>बिना किसी प्राधिकार के इयुटी से अनुपस्थित रहने</u> वाला अधिकारी ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के दौरान वेतन एवं अतों का हक<u>दार नहीं होगा।</u>

(ख) <u>मल नियम (एफआर 1</u>7-क)

उक्त प्रावधान में अन्य वार्तों के साथ-साथ व्यवस्था भी है कि जहां कोई कर्मचारी अपाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है अथवा पट को त्याग देता है, तो ऐसी अनुपस्थिति को कर्मचारी की सेवा में व्यवधान अथवा देक करने वाला माना जाएगा, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवकाश यात्रा छूट के प्रयोजनार्थ तथा विभागीय परीक्षा में उपस्थित होने की पात्रता, जिसके लिए सेवा की न्यूनतम अवधि अपेक्षित होती है, के लिए अन्यया निर्णय न लिया जाए।

(ग) सीसीएस (अवकाश) नियमावली, 1972 का नियम 25

उक्त प्रावधान ऐसी परिस्थिति से संबंधित है जहां कोई कर्मचारी देय एवं मान्य संस्थीकृत छुट्टी से अधिक समय तक छुट्टी पर रहता है तथा सक्षम प्राधिकारी ने ऐसे विस्तार का अनुमोदन नहीं किया होता है। इस प्रकार छुट्टी न बढ़ाए जाने के परिणाम निम्नतिखित दोंगे:

- सरकारी कर्मचारी ऐसी अनुपस्थिति के लिए किसी अवकाश वेतन का हकदार नहीं होगा;
- अनुपस्थित अविधे की उसके अवकाश खाता से अई वेतन अवकाश के समान उसे देय सीमा तक घटाया जाएगा। ऐसे देय अवकाश से अधिक अविधे को असाधारण अवकाश माना जाएगा।
- iii. अवकाश समाप्त होने पर इय्टी से जानबूझकर अनुपस्थित रहने के लिए सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

5क (iii) के संबंध में, यह उल्लेख है कि सभी मंत्रालयाँ/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वै यह सुनिधित करें कि किसी सरकारी कर्मचारी की अप्राधिकृत अनुपस्थित के सभी मामलों में, उसे ऐसी अनुपस्थित के परिणामों से अवगत कराया जाए तथा निर्दिष्ट अविध अर्थात तीन दिनों के भीतर, कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए जाएं। ऐसा न करने पर उसके विरुद्ध वह सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अपाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सरकारी कर्मचारीके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने पर बल दिया जाए तथा इसे सीसीएस(अवकार) नियमावली, 1972 के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्धारित सीमा से अधिक अनुपस्थित रहने तक दाला न जाए। अनुशासनात्मक मामले में यथाशीध कार्रवाई शुरू कर उसे सम्पन्न किया जाए।

(घ) सीसीएस (अवकाश) वियमावली, 1972 का नियम 32(6)

यह प्रावधान सक्षम प्राधिकारी को सीसीएन (अवकाश) निवमावली, 1972 के नियम 32(6) के तहत अवकाश प्रदान करने, अवकाश बिना अनुपस्थिति की छुट्टी की अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से असाधारण अवकाश में परिवर्तित करने का अधिकार प्रदान करना है। इसी प्रकार का प्रावधान सीसीएस (पेंशन) निवमावली, 1972 के निवम 27(2) के तहत भी विद्यमान है। यह सुनिधित किया जाए कि इस प्रावधानों के तहत प्रदान किए गए विवेकाधिकार का प्रयोग परिस्थितियाँ तथा अलग-अलग मामले के गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए। असाधारण अवकाश प्रदान करते हुए नियमित की गई इस प्रकार की अनुपस्थिति की अवधि को सामान्यतया वेतन वृद्धि के प्रयोजनार्थ नहीं मिना जाएगा तथा उक्त प्रयोजनार्थ इसे एकआर 26 (ख) (ii) के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

 सभी मंत्रालय/विभाग दोषी सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध तियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ करें।

(मुकेश चतुर्वेदी)

उप सचिव, भारत सरकार